राजस्थान में उच्च शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य : एक प्रस्ताव

❑ प्रकाश चतुर्वेदी

विगत पचास वर्षों में अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी उच्च शिक्षा का द्रुतगति से विकास हुआ है । प्रदेश में वर्तमान में कार्यरत विश्वविद्यालयों में से दो अध्यापन एवं संबंधन विश्वविद्यालय (राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, 1947 तथा मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर, 1962); एक मूलत: संबंधन विश्वविद्यालय (महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर, 1987) एक स्थानीय विश्वविद्यालय (जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, 1962) एक कृषि विश्वविद्यालय (राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर, (1987) तथा एक सुदूर शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय (कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा 1987) हैं। प्रदेश में चार विश्वविद्यालय वत् संस्थाऐं भी कार्यरत हैं । बिरला विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान, पिलानी (1964) वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली (1991) राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर तथा जैन विश्वभारती, लाडनू ।

प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत संघटक महाविद्यालयों के अतिरिक्त प्रदेश में सामान्य शिक्षा के 257 महाविद्यालय भी कार्यरत हैं । 101 राजकीय महाविद्यालय, 75 अराजकीय अनुदानित महाविद्यालय तथा 81 अराजकीय गैर अनुदानित महाविद्यालय हैं । प्रदेश में कुल 257 सामान्य महाविद्यालयों में 87 स्नातकोत्तर स्तर के (48 राजकीय, 38 अनुदानित तथा 1 गैर अनुदानित) तथा शेष 170 स्नातक स्तरीय (53 राजकीय 37 अनुदानित तथा 80 गैर अनुदानित) महाविद्यालय है । इनमें कुल 222966 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं जिनमें 72666 छात्राएं हैं । इस प्रकार कुल नामांकन में महिलाओं का प्रतिशत लगभग 32.41 है । राजकीय अनुदानित व गैर अनुदानित महाविद्यालयों के कुल नामांकन 183860 में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के विद्यार्थियों की संख्या क्रमश: 19717 तथा 13185 है । संभागवार विवेचन करने से ज्ञात होता है कि अजमेर संभाग में 35, बीकानेर संभाग में 44, जोधपुर संभाग में 24, कोटा संभाग में 22, उदयपुर संभाग में 34 तथा जयपुर संभाग में 98 महाविद्यालय है । उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 32 जिलों में से केवल मात्र एक राजसमन्द जिले में एक भी महिला महाविद्यालय कार्यरत नहीं है तथा शेष सभी जिलों में महिला महाविद्यालय कार्यरत है ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राज्य में उच्च शिक्षा की दृष्टि से उल्लेखनीय प्रगति हुई है । वर्ष 1947 में राज्य में एक विश्वविद्यालय 6 महिला महाविद्यालयों सहित 27 महाविद्यालय (10326 छात्रों एवं 822 अध्यापकों सहित) कार्यरत थे । वर्ष 1970-71 में महाविद्यालयों की संख्या 93 हो गई जो 1984-85 में बढ़कर 134 और 1992-93 में 257 हो गई । इस मात्रात्मक विस्तार के बावजूद प्रदेश में 1991 के आंकड़ों के अनुसार 4.39 लाख जनसंख्या के लिए 171 महाविद्यालय हैं अर्थात 2.57 लाख जनसंख्या के पीछे 1 महाविद्यालय है और 1998 में लगभग 5 करोड़ जनसंख्या के लिए 259 महाविद्यालय हैं अर्थात 2.50 लाख जनसंख्या से भी अधिक के पीछे एक महाविद्यालय है जबकि देश में 1.78 लाख जनसंख्या के पीछे 1 महाविद्यालय है । बिहार में प्रति महाविद्यालय जनसंख्या 1.56 लाख, हरियाणा में 1.37, गुजरात में 1.86 लाख मध्य प्रदेश में 1.48 लाख है । राजस्थान में बाड़मेर, बूंदी, धौलपुर तथा नागौर जिलों में तो 7 लाख से अधिक जनसंख्या के पीछे एक महाविद्यालय है । स्पष्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उच्च शिक्षा का विकास सन्तुलित नहीं हुआ है। यह इस तथ्य से भी इंगित होता है कि प्रदेश में अधिक महाविद्यालय अनुपयुक्त महाविद्यालयों की श्रेणी में आते हैं क्योंकि इनमें नामांकन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से कम है । इतना ही नहीं अन्य उपयुक्त महाविद्यालयों में भी अनेक विषय/संकाय/ऑनर्स विषय ऐसे हैं जिनमें नामांकन 10 या इससे भी कम है ।

उच्च शिक्षा का बजट

1997-98 (आर. ई.)लाख

आयोजना	गैर आयोजना
1.150.80	14,599.94

1998-99 (बी.ई.)

1,760.30	17, 786.84
19,574.14	

राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय दृष्टि से उदार नीति अपनाई है । किन्तु मात्रात्मक एवं गुणात्मक दृष्टि से परिणाम संतोषजनक नहीं पाये जा रहे हैं । इसी कारण 8 वीं दशाब्दी से ही

राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के लिये नीति संबंधी पुनर्विचार आरंभ किया गया और प्रत्येक राज्य में उच्च शिक्षा के लिए एक पृथक परिषद् के गठन का प्रस्ताव रखा गया ।

राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लिए एक केन्द्रीय संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में की गई थी किन्तु राज्यों में इसी प्रकार की एक शीर्ष संस्था की स्थापना की परिकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई (पृष्ठ 44) । उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सही आयोजना एवं समन्वय के लिए राज्य स्तर पर वैधानिक संस्था स्थापित करने पर बल दिया गया जो मुख्यत: उच्च शिक्षा के कार्यक्रम बनाने, उनकी जांच करने, शैक्षणिक स्तर बनाये रखने, ब्लाक ग्रान्ट के निर्धारण में राज्य सरकार को सहयोग करने, स्वायत्तशाषी महाविद्यालयों को प्रोत्साहित करने, संस्थाओं का मूल्यांकन करने तथा नई संस्थाओं की स्थापना के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देने का कार्य करेंगी ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षिक प्रबन्ध के लिये सलाह देने के उद्देश्य से गठित ज्ञानम् समिति ने अपनी रिपोर्ट (1990) में (पृष्ठ 104) राज्य स्तर पर राज्य विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के लिए योजना समन्वय व समीक्षा करने हेतु राज्य परिषद् उच्च शिक्षा के गठन की सिफारिश की है । आयोग द्वारा गठित एक अन्य समिति ने प्रस्तावित परिषद् के स्वरूप, कार्य क्षेत्र, उत्तरदायित्व, वितीय प्रावधान एवं अन्य कार्यों के लिये एक प्रारूप तैयार किया था जिसे आयोग ने स्वीकार कर राज्य सरकारों को मार्ग दर्शन के रूप में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया था ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संबंध में भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये कार्यान्वयन कार्यक्रम, 1992 में भी (पृष्ठ 131) राज्यस्तरीय आयोजना तथा राज्य सरकार व आयोग के बीच समन्वय की दृष्टि से परिषद् की स्थापना की नीति को लागू करने पर बल दिया है तथा आयोग द्वारा प्रचारित मार्गदर्शन के अनुसार 8 वीं योजना में ऐसी परिषदों की स्थापना की आवश्यकता दोहराई थी । वर्तमान में आन्ध्रप्रदेश तथा तमिलनाडु में ऐसी परिषद् कार्यरत है तथा अन्य दो-तीन राज्यों में इस विषय पर सक्रियता एवं गंभीरता से विचार किया जा रहा है ।

राज्य में उच्च शिक्षा का विस्तार अपने आप में एक उपलब्धि मानी जा सकती है परन्तु उच्च शिक्षा के उद्देश्यों को हम किस सीमा तक प्राप्त कर सके है यह एक विचारणीय बिन्दु है । उच्च शिक्षा संस्थान इन उद्देश्यों को कहां तक पूरा कर पाये हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है । उच्च शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य पर यदि हम एक सरसरी दृष्टि डालें तो हमें निराशा ही हाथ लगेगी । यह बात नहीं है कि अन्यत्र स्थिति सर्वथा आदर्शमयी है, पर हमें अपने घर की स्थिति ज्यादा चिंतित और व्यग्र करती है। शिक्षा की गुणवत्ता की बात तो कोसों दूर है, उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों की विश्वसनीयता ही समाप्त होती जा रही है । विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता के नाम पर उच्छृंखलता और अकार्य संस्कृति पनप रही है । महाविद्यालयों में भी यह संक्रमण धीरे-धीरे फैलता जा रहा है। विश्वविद्यालयों का शिथिल प्रबंधन, राजनीतिक हस्तक्षेप, छात्रों शिक्षकों और कर्मचारियों की आंतरिक राजनीति शिक्षा की नींव को खोखला कर रहे हैं । सर्वत्र अराजकता, गैर जवाबदेही, तदर्थवाद, अनुशसनहीनता, मूल्यहीनता का बोलबाला है । एक अजीब सी जड़ स्थिति है, एक दमघोटूं माहौल में हम सब श्वांस लेने की मजबूरी लिये हुए हैं । दिल्ली में बैठी यू.जी.सी. की महती भूमिका रही है। और फिर दिल्ली से आते-आते उसका प्रभाव राज्यों में अन्य घटकों से टकराकर बिखर जाता है । ऐसी स्थिति में यह परमावश्यक है कि राज्य में एक ऐसी परिषद् बने जो राष्ट्रनीति व यूजीसी के कार्यक्रमों को राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में यथा संभव क्रियान्वित करा सके । यह परिषद यूजीसी राज्य सरकार विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के बीच

उच्च शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य पर यदि हम एक सरसरी दृष्टि डालें तो हमें निराशा ही हाथ लगेगी । यह बात नहीं है कि अन्यत्र स्थिति सर्वथा आदर्शमयी है, पर हमें अपने घर की स्थिति ज्यादा चिंतित और व्यग्र करती है । शिक्षा की गुणवत्ता की बात तो कोसों दूर है, उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों की विश्वसनीयता ही समाप्त होती जा रही है । विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता के नाम पर उच्छृंखलता और अकार्य संस्कृति पनप रही है । महाविद्यालयों में भी यह संक्रमण धीरे–धीरे फैलता जा रहा है। विश्वविद्यालयों का शिथिल प्रबंधन, राजनीतिक हस्तक्षेप, छात्रों शिक्षकों और कर्मचारियों की आंतरिक राजनीति शिक्षा की नींव को खोखला कर रहे हैं । सर्वत्र अराजकता, गैर जवाबदेही, तदर्थवाद, अनुशसनहीनता, मूल्यहीनता का बोलबाला है । एक अजीब सी जड़ स्थिति है, एक दमघोटूं माहौल में हम सब श्वांस लेने की मजबूरी लिये हुए हैं ।

एक सार्थक कड़ी बन सके। उच्च शिक्षा से संबंधी आयोजना, समन्वय एवं विभिन्न कार्यक्रमों के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु यह परिषद् एक सार्थक भूमिका अदा कर सके, इस दृष्टि से राजस्थान राज्य परिषद् उच्च शिक्षा का अविलम्ब गठन न केवल सामयिक होगा अपितु उच्च शिक्षा में सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा ।

राजस्थान में राजस्थान राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की पूर्व पीठिका

राजस्थान में राज्य सरकार विगत 7-8 वर्षों से राज्य परिषद् उच्च शिक्षा के गठन के प्रश्न पर सक्रियता से विचार कर रही है । कुलपतियों की समन्वय समिति में भी 16.4.1991 को इस प्रश्न पर विस्तार से चर्चा की गई थी तथा तत्कालीन विशिष्ट शिक्षा सचिव के आन्ध्र प्रदेश परिषद् के संबंध में अध्ययन/प्रतिवेदन पर विचार किया गया । तत्कालीन राज्यपाल महोदय का विचार था कि स्कूल एवं उच्च शिक्षा के संबंध में शैक्षिक, प्रशासनिक एवं अन्य क्षेत्रों में सुविचारित एवं रचनात्मक सलाह एवं सहयोग प्रदान करने के लिये ऐसी राज्यस्तरीय परिषद् का गठन आवश्यक है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय ने अपनी राजस्थान यात्रा के दौरान तत्कालीन महामहिम राज्यपाल महोदय को बताया था कि आयोग ऐसी परिषद् के गठन को प्रोत्साहित करने के लिए 1 करोड़ रुपये का एक मुश्त अनुदान देगा । अध्यक्ष महोदय का विचार था कि प्रस्तावित परिषद राज्य सरकार, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं आयोग के बीच एक कड़ी का काम करेगी । राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में गठित समिति ने भी महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए परिषद के गठन का सुझाव दिया था और प्रस्तावित परिषद के स्वरूप, कार्य, उत्तरदायित्व, अधिकार तथा वित्तीय प्रावधान के संबंध में समुचित प्रावधानों का प्रारूप भी प्रस्तुत किया था ।

शिक्षा नीति, भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कुलपतियों की समन्वय समिति की विचारधारा आदि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वर्ष 1994-95 के बजट भाषण में राज्य उच्च शिक्षा परिषद् गठित करने के राज्य सरकार के निर्णय की घोषणा की ।

प्रस्तावित परिषद की रूपरेखा निम्नानुसार होगी ।

(अ) परिषद् के कर्तव्य

राज्य में राजकीय एवं गैर-राजकीय क्षेत्र की सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडीकल शिक्षा, सूदूर शिक्षा, कृषि शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, कला एवं संस्कृति शिक्षा आदि क्षेत्रों में अध्ययन एवं अनुसंधान की दृष्टि से राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना परिषद् का प्रमुख कार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा संदर्भित करने पर किसी भी प्रकरण पर परिषद् राज्य सरकार को सलाह देगी ।

(आ) सरंचना

परिषद के 17 सदस्यों में एक अध्यक्ष, दो कुलपति, दो सदस्य व्यावसायिक शिक्षा, दो शिक्षक प्रतिनिधि, दो महाविद्यालय प्राचार्य, 1 राजकीय, 1 गैर-सरकारी महाविद्यालय, चांसलर प्रतिनिधि, निदेशक, कालेज शिक्षा एवं संस्कृतिकर्मी, एक सदस्य व्यवसाय एवं उद्योग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव, उच्च शिक्षा सचिव, वित्त सचिव तथा परिषद के सचिव होंगे । अध्यक्ष की नियुक्ति कुलाधिपति राज्य सरकार एवं आयोग के अध्यक्ष से सलाह करके करेंगे । अध्यक्ष एवं सचिव पूर्णकालिक होंगे जिनकी अधिकतम आयु 65 वर्ष की होगी।

(इ) कर्मचारी :

परिषद् को स्वयं के कर्मचारी नियुक्त करने का अधिकार होगा। अध्यक्ष के निवेदन पर राज्य सरकार प्रशासनिक सेवा अथवा शिक्षा सेवा के किसी भी अधिकारी की सेवाएं परिषद् को सौंप सकती है। राज्य सरकार लेखा सेवा के अधिकारी की सेवाएं भी अध्यक्ष के निवेदन पर परिषद को सौंप सकती है ।

(ई) आयोजना एवं समन्वय

उच्च शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में समन्वित कार्यक्रम तैयार करना, उच्च शिक्षा संस्थाओं (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों) की विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों को आयोग एवं अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं के शैक्षणिक स्तर निर्धारित करने एवं उसे बनाये रखने में सहयोग करना, राज्य की उच्च शिक्षा की दीर्घकालीन योजना तैयार करना, कार्यक्रम क्रियान्विती की समीक्षा करना, उद्योग व अन्य क्षेत्रों से सहयोग व समन्वय स्थापित करना तथा उच्च शिक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधन एकत्र करने के लिए सुझाव देना ।

(उ) शैक्षणिक

महाविद्यालयी एवं विश्वविद्यालयी पाठयक्रम के उन्नयन एवं सुधार के लिये प्रयत्न करना, महाविद्यालयी एवं विश्वविद्यालयी अध्यापकों के बीच अधिकाधिक शैक्षणिक वातावरण स्थापित करना, अध्यापकों एवं छात्रों की गतिशीलता बढ़ाना, उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश को नियन्त्रित करना, विश्वविद्यालयों के संबंध

में रिपोर्ट तैयार करना, खेलकूद सांस्कृतिक एवं शिक्षा को बढ़ावा देने के कार्यक्रम बनाना एवं लागू करना। महाविद्यालयी एवं विश्वविद्यालयी अध्यापकों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देना तथा विश्वविद्यालयी परीक्षाओं के स्तर को सुधारना । व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की प्रवेश परीक्षायें आयोजित करना।

(ऊ) सलाह देने के कार्य

राज्य सरकार को ब्लॉक ग्रान्ट निर्धारण का आधार सुझाना, ब्लॉक ग्रान्ट का निर्धारण, राज्य स्तरीय अनुसंधान बोर्ड का गठन, विश्वविद्यालयों के स्टैच्यूट्स, ओर्डिनेन्स, रेगूलेशन के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना, स्टेच्यूट्स के संबंध में कुलाधिपति को राय देना, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अथवा अन्य किसी भी संस्था को सन्दर्भ करने पर शिक्षा के संबंध में राय देना, आल इंडिया काउन्सिल फॉर टैक्नीकल एज्यूकेशन, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया जैसी संस्थाओं से संबंध स्थापित करना। उच्च स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, तकनीक ज्ञाताओं को सम्मान देना, विश्वविद्यालयी अधिनियमों में परिवर्तन के संबंध में राज्य सरकार को राय देना, तथा अन्य कोई भी कार्य जो उच्च शिक्षा के सुधार के लिये आवश्यक हो ।

वित्तीय संसाधन

परिषद का अपना स्वयं का कोष होगा जिसमें राज्य सरकार द्वारा, आयोग द्वारा तथा अन्य राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली राशि सम्मिलित की जावेगी । राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष परिषद को वित्तीय ब्लाक ग्रान्ट, विकास ग्रान्ट, मैचिंग ग्रान्ट एवं अन्य वित्तीय सहयोग प्रदान करेगी । सभी प्राप्तियों का उपयोग एवं विनियोग परिषद् के रेग्यूलेशन द्वारा निर्धारित किया जावेगा। परिषद् राज्य सरकार एवं आयोग से विचार करने के पश्चात् वित्तीय संसाधन एकत्र करने के सभी कदम उठायेगी ।

प्रदेश में विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु छात्र छात्राओं को अलग अलग प्रवेश परीक्षाओं की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है । उपरोक्त प्रविष्टि परीक्षायें विभिन्न विश्वविद्यालय या संस्थानों को सौंपी जाती रही हैं । उपयुक्त होगा कि उपरोक्त संपूर्ण प्रविष्टि परीक्षाओं का कार्य भार राज्य परिषद उच्च शिक्षा को सौंप दिया जाये । इससे संभावित आय राज्य परिषद् की आय होगी।

विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, शैणिक संस्थाओं को अपने कोष से आर्थिक सहयोग व ब्लॉक ग्रान्ट निर्धारित करना और उसे देना।

परिषद् प्रत्येक वर्ष का नियमानुसार बजट बनायेगी और उसकी प्रति राज्य सरकार को प्रेषित करेगी । बजट पर राज्य सरकार द्वारा की गई टिप्पणी पर परिषद विचार करेगी । परिषद् नियमानुसार लेखे रखेगी। इनका प्रत्येक वर्ष नियमानुसार अंकेक्षण करा जायेगा ।

वार्षिक लेखे और अंकेक्षण रिपोर्ट सरकार के पास भेजे जावेंगे तथा उन पर राज्य सरकार द्वारा की गई टिप्पणी पर विचार किया जायेगा। परिषद् नियमानुसार वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और राज्य सरकार व आयोग को प्रस्तुत करेगी ।

उच्च शिक्षा के संबंध में नीति या अन्य किसी भी प्रकरण में परिषद् कुलाधिपति के इस संबंध में दिये गये निर्देशों का पालन करेगी । परिषद् एवं उसके कार्यों आदि की जांच करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा । जांच के संबंध में राज्य सरकार अपने विचारों/टिप्पणी से परिषद को अवगत करायेगी और परिषद उन पर आवश्यक कार्यवाही कर राज्य सरकार को सूचित करेगी । इस पर राज्य सरकार जो उचित समझे परिषद को निर्देश दे सकती है जिनकी पालना परिषद् को करनी होगी ।

राजस्थान राज्य उच्च शिक्षा चयन मण्डल

परिषद की सहयोगी संस्था के रूप में उक्त मण्डल उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्य हेतु विभिन्न शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों के कार्य को देखेगा तथा इस संबंध में यूजीसी द्वारा प्रदत्त मार्ग दर्शन को सुनिश्चित करेगा। यह मण्डल सरकारी, गैर सरकारी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की नियुक्तियों के बारे में चयन प्रक्रिया का संचालन करेगा । परिषद् और यह चयन मण्डल उच्च शिक्षा में स्तरीयता सुनिश्चित करेंगे । इनके संयुक्त प्रयत्न से उच्च शिक्षा में व्याप्त अविभिन्न विसंगतियों को दूर किया जा सकेगा । ◆